**भारत सरकार**
**गृह मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1918**
**दिनांक 11 मार्च, 2025/ 20 फाल्गुन,1946 (शक) को उत्तर के लिए**

**चीन के स्वामित्व वाले एप्स पर प्रतिबंध**

**1918. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वेः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या यह सच है कि 2020 में, जब भारत और चीन के बीच सीमा तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था, सरकार ने टिकटॉक, शेयरइट, शीन, यूसी ब्राउजर, वीचैट, बिगो लाइव आदि जैसे 59 चीन की स्वामित्व वाले ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था;**
**(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**
**(ग) क्या सरकार को पता है कि 2020 में सरकार द्वारा प्रतिबंधित 59 चीनी ऐप या तो नए नामों के साथ या थोड़े संशोधनों के साथ चुपचाप वापस आ गए हैं और कुछ के स्वामित्व में परिवर्तन हुआ है, जबकि अन्य काफी हद तक वही बने हुए हैं; और**
**(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या प्रतिबंध हटाने के लिए सरकार द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री बंडी संजय कुमार)**

(क) और (ख): भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था के हित में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 69क के तहत और इसके नियम अर्थात् सूचना प्रौद्योगिकी (जनता तक सूचना की पहुंच को रोकने की प्रक्रिया और रक्षोपाय) नियम, 2009 के तहत समय-समय पर अवरुद्ध (ब्लॉक) करने संबंधी निदेश जारी करता है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में 59 मोबाइल एप्लीकेशनों को ब्लॉक करने के निदेश जारी किए थे।

(ग) और (घ): सुरक्षा एजेंसियां ब्लॉक की गई ऐप्स पर नजर रखती हैं तथा भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था के हित में ऐसी ऐप्स को ब्लॉक करने के अनुशंसा करती हैं, जो दोबारा

शुरू (रिसर्फेस) हो गई हैं अथवा जिनसे खतरा है। इसके अलावा, भारत सरकार ब्लॉक की गई ऐप की कंपनी द्वारा किए गए अनुपालन के आधार पर समय-समय पर अपने द्वारा ब्लॉक किए जाने संबंधी आदेशों की निर्धारित सरकारी दिशानिर्देशों के आधार समीक्षा करती है।

******